

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री रूडाराम  
जाति मेघवाल  
निवासी निम्बोडा पोस्ट मारोल तहसील रेवदर  
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं:32 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	गन्बर ५ तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
16.04.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 07.09.2018 एवं 26.09.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि टाडा माडा (टी.एस.पी.) का जारी प्रमाण पत्र क्रमांक/टी.ए.डी./38/(5)154 दिनांक 21.03.2006 को जारी श्री खंगारराम पुत्र श्री वागाराम निवासी मूंगथला तहसील आबूरोड के नाम से जारी प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 07.09.2018 एवं 26.09.2018 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि टाडा माडा (टी.एस.पी.) का जारी प्रमाण पत्र क्रमांक/टी.ए.डी./38/(5)154 दिनांक 21.03.2006 को जारी श्री खंगारराम पुत्र श्री वागाराम निवासी मूंगथला तहसील आबूरोड के नाम से जारी प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

